तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5170/2004/टोंक रामदेव बनाम बीरमा	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री वी.पी. सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री अजीतसिंह राठौड, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1 के वारिसान की ओर से

अप्रार्थीगण संख्या–2 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

श्री अशोक मेघवंशी, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–7

निर्णय

दिनांक 26.07.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा वाद संख्या–05/2003 बउनवानी बीरमा बनाम भंवरलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11सीपीसी दिनांक 24–12–2003 बाबत् वाद रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आने से खारिज किये जाने को खारिज किया है।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि मूल अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी है अन्य अप्रार्थीगण प्रफोर्मा पक्षकार है, जिनकी तलबी बन्द की जावे। उक्त तर्क पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या–5 व 6 की तलबी बन्द की जाती है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार की मुख्य आपत्ति है कि पूर्व में वाद दो बार विड्रो हो चुका है और न्यायालय की अनुमति के बिना पुनः वाद पेश नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध धारा 11सीपीसी का प्रार्थनापत्र खारिज किया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी गैर निगराकासर का तर्क है कि बंटवारे की प्राथमिक डिक्री हुई और पक्षकार अलग है तो दूसरा बंटवारे का वाद बाधित नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में 1957 एआईआर (आन्ध्रप्रदेश) पेज 10 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5170/2004/टोंक रामदेव बनाम बीरमा	नम्बर व तारीख

पत्रावली एवं पारित आदेश का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–09–2004 में उल्लेख किया है कि –

''प्रथम वाद दिनांक 12–1–1990 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं इसकी पालना न हो सकी। वादी ने पुनः दूसरा वाद इसी सम्पत्ति को लेकर पेश किया जो न्यायालय हाजा द्वारा 1000/–रूपये हर्जे पर वाद विड्रा किया गया एवं यह वाद पेश किया गया। चूंकि प्रथम वाद के निर्णय को 12 वर्ष व्यतीत हो चुके है एवं दौराने प्रतिवादीगण भी भिन्न हो गये है। उक्त निर्णय से वादी को अनुतोष नहीं मिल सकता है।''

आदेश 23 नियम 1 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ यदि वाद विड्रो किया गया है तो वादी पुनः वाद पेश कर सकता है और मौजूदा प्रकरण में 1000/–रूपये के हर्जे पर वाद विड्रो की अनुमति दी गई है। अतः मामला रेस–ज्यूडिकेटा की परिधि में नहीं आता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता एवं अनियमितता नहीं होने से हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। चूंकि मूल वाद वर्ष 2003 से लम्बित होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को निर्देश दिये जाते है कि वे सभी पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए मूल वाद का शीघ्र निस्तारण करें।

पक्षकारों को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के न्यायालय में दिनांक 24–8–2022 को उपस्थित हो।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य